

ज्ञापांक-907/401921/पी03

17-05-10/2018

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी अपर पुलिस महानिदेशक, बिहार।  
 सभी पुलिस महानिरीक्षक, बिहार।  
 पुलिस उप-महानिरीक्षक(कार्मिक), बिहार, पटना।  
 सभी पुलिस उप-महानिरीक्षक, बिहार।  
 पुलिस महानिरीक्षक के सहायक(सैन्य पुलिस/प्रशिक्षण), बिहार।  
 सभी वरीय पुलिस अधीक्षक, बिहार।  
 सभी पुलिस अधीक्षक (रेल एवं इकाई सहित), बिहार।  
 सहायक निदेशक, बिहार पुलिस अकादमी, पटना।  
 सभी समादेष्टा, बिहार।  
 सभी प्राचार्य, सिपाही प्रशिक्षण केन्द्र, बिहार।


पटना, दिनांक :- 18-12-2018

**विषय:-** हिन्दी-टिप्पण प्रारूपण परीक्षा से सिपाहियों एवं हवलदारों को विमुक्ति प्रदान करने के संबंध में।

**प्रसंग:-** पुलिस मुख्यालय का ज्ञापांक-4879/पी02, दिनांक-21.10.2008 एवं गृह विभाग का पत्र संख्या-7225, दिनांक-23.07.2005।

निदेशानुसार उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में कहना है कि पुलिस मुख्यालय के ज्ञापांक-4879/पी02, दिनांक-21.10.2008 द्वारा हिन्दी-टिप्पण प्रारूपण परीक्षा से सिपाहियों एवं हवलदारों को विमुक्ति प्रदान करने के संबंध में गृह विभाग (आरक्षी शाखा) बिहार, पटना का पत्र संख्या-4/ब2/1053/2004 गृ0आ0-7225, दिनांक-23.07.2005 की प्रतिलिपि को परिचालित किया जा चुका है।

उक्त पत्र की छायाप्रति अग्रेतर कार्रवाई हेतु संलग्न है।

  
 अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय),  
 बिहार, पटना।

पत्रांक 4879 पी-2

15-10-6-96

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।

सेवा में,

पुलिस उप-महानिरीक्षक कार्यालय,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,  
बिहार सैन्य पुलिस, पटना।

सभी क्षेत्रीय अपर पुलिस महानिदेशक/  
पुलिस महा निरीक्षक रेल/अप0अनु0विभाग/विशेष शाखा/  
निगरानी विद्युत पथद कोषांग/सहकारिता कोषांग सहित  
बिहार।

पटना, दिनांक 21 अक्टूबर, 2008.

विषय:- हिन्दी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा से आरक्षी एवं हवलदारों को विमुक्ति  
करने के संबंध में।

महोदय,

निम्नानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में गृह आरक्षी विभाग का पत्र सं-  
4/42-1553/2004/आ0-7225 दिनांक 23-7-2005 की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए  
कहना है कि तदनुसार अश्वेतत कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु-यथोपरि।

विश्वासभाजन

पुलिस उप-महानिरीक्षक कार्यालय,  
बिहार, पटना।

प्रतिलिपि:-

1- सभी क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक रेल/अप0अनु0विभाग/विशेष शाखा/  
निगरानी विद्युत पथद कोषांग/सहकारिता कोषांग/वित्त सहित, बिहार को अनुलग्नक  
सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।

2- सभी पुलिस अधीक्षक/निरीक्षक/नाथनगर सहित, बिहार को अनुलग्नक  
सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।

3- सभी सहायक/अपर सैन्य पुलिस को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं  
आवश्यक क्रियार्थ।

राजेश/24/10

SP(C)

RO

2-196  
108

पत्र संख्या-4/व2/1053/2004गु0आ0-7225 /

बिहार सरकार,  
गृह आरक्षी विभाग।

प्रधक,

श्री कृपानाथ झा,  
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

आरक्षी उप-महानिरीक्षक प्रानवाधिकार,  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 23 जुलाई, 2005।

विषय:- हिन्दी टिप्पण प्रारूप परीक्षा के आरक्षी एवं हवलदारों को उपयुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 1226 दिनांक 22-12-2004 के प्रसंग में राजभाषा विभाग ने परामर्श दिया है कि आरक्षी संवर्ग से प्रोन्नत हवलदार सिविल जमादार जो प्रवेशिकोत्तीर्ण नहीं है और प्रोन्नति पाकर तृतीय वर्ग के कर्मचारी हैं, तो उन्हें हिन्दी लिखने पढ़ने की योग्यता परीक्षा पास करना अनिवार्य है।

जहां तक आरक्षी और साझर आरक्षी जो वर्ग-3 के कर्मचारी घोषित हैं, अगर उन्हें अपने कार्यस्थल सम्बन्ध के रूप में टिप्पणी दिखना और प्रारूप तैयार करना पड़ना है, जिसमें रिपोर्ट (प्रतिवेदन) आदि भी शामिल है तो ऐसे कर्मियों को बिहार सरकार & हिन्दी परीक्षा नियमावली 15 जुलाई, 1968 के अनुसार हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करना अनिवार्य है।

अतएव अनुरोध है कि उपर्युक्त परामर्श के अनुसार अग्रेत्तर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

*S.P. (C)*

विश्वासभाजन,  
ह0/-  
सरकार के उप सचिव।